न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 324/2016/225 आरटीए

चरणजीतकौर पत्नि सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. सुखदेवसिंह पुत्र जयसिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर सिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. एसआर हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2016 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 219/2014 अनवानी सतवीरसिंह बनाम सुखदेवसिंह आदि

श्री अजयवीरसिंह मान अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रामकुमार सहारण अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

निर्णय दिनांक –04.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया कि चक 6 एसटीजी खाता सं. 184/156 मे खाता सोहनसिंह आदि मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम 140 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, चक 6 एसटीजी खाता सं. 176/97 खाता सुखदेवसिंह आदि मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 4 एसटीजी खाता सं. 60/51 खाता तेजासिंह आदि मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम 62.5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड मे है। उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 2 के दादा जयसिंह के नाम से दर्ज थी जो रेस्पो0 सं. 1 व उसके भाई बलदेवसिंह को प्राप्त हुई। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिसमे प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा है तथा अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है। चक 6 एसटीजी खाता सं. 184/156 व 176/97 व चक 4 एसटीजी खाता सं. 60/51 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि की अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा की घोषणा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। रेस्पो0 सं. ने जरिये अधिवक्ता हाजिर आकर अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया। इसी दौरान अपीलांटा ने अपने अधिवक्ता की ओर से हाजिर आकर आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांटा को विचारण न्यायालय द्वारा बतौर अप्रार्थीया सं. 3 संयोजित किया गया तथा अपीलांटा ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे अपीलांटा का भी हक व हिस्सा है। हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत यदि पिता पुत्र अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर विभाजन करवाते है तो उसके पत्नि का बहिस्सा बराबर का हक बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.2014 को रेस्पो0 सं. 1 के 1/2 हिस्से तक खारिज किया गया तथा शेष 1/2 हिस्से का अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 30.10.2014 को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गतल एवं विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। वादग्रस्त भूमि मे अपीलांटा के पति रेस्पो0 सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा कानूनन है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत यदि पिता पुत्र अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर विभाजन करवाते है तो उसके पत्नि का बहिस्सा बराबर का हक बनता है। इस बाबत प्रार्थीया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे भलीभांति समावेश किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर ध्यान नही दिया तथा ना ही अपीलांटा का हक व हिस्सा इस आराजी मे क्यों नही बनता इन तथ्यों का वर्णन अपने निर्णय मे किया है। विचारण न्यायालय ने केवल रेस्पो0 सं. 2 के हक व हिस्सा तक का स्थगन ही कन्फर्म किया है जबकि अपीलांटा के हक हिस्सा का स्थगन भी विचारण न्यायालय द्वारा कन्फर्म करना चाहिए था। अपीलांटा को उसके हक व हिस्से की भूमि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा बांटकर दे रखी है। जिस पर अपीलांटा काबिज है। जिसके माध्यम से अपीलांट अपना भरणपोषण करती है। अगर रेस्पो0 सं. 1 इस भूमि को रहन, बैय या अन्तरित कर देता है तो अपीलांटा के भूखे मरने की नोबत हो जायेगी। रेस्पो0 सं. 1 प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरित करने पर उतारू है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे RRT 2016(2) P 1084, RRD 2016 P 580, RRD 2012 P 698, RRD 2010 P 96, RRT 2014-15 P 96, RRD 2002 P 744, RRT 2013(1) P 682, RRT 2015(2) P 1444, RRT 2013 (1) P 152, RRT 2009 (1) P 141, RRD 1990 P 238 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2016 को निरस्त किया जावे तथा रेस्पोडेंटस के खिलाफ इस अमर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी की जावे कि रेस्पोडेंटस वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय तथा मुन्तकिल नही करें।

4- विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 6 एसटीजी खाता सं. 151/143 व खाता सं.

Web Copy - Not Official

64/126 मे एवं चक 4 एसटीजी के खाता सं. 51/48 रेस्पो0 सं. 1 के पिता जयसिंह के नाम से दर्ज थी जो रेस्पो0 सं. 1 व इसके भाई बलदेवसिंह को विरासत प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे रेस्पो0 सं. 2 का रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज भूमि मे आधा हिस्सा पाने का अधिकारी है तथा शेष आधा हिस्सा रेस्पो0 के कब्जा काश्त मे है। रेस्पो0 सं. 1 अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग, रहन बैय विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है जिसमे अपीलांट दखलअंदाजी व बाधा पहुंचाने का किसी प्रकार का अधिकारी नही है। इसी आधार पर रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.2014 को रेस्पो0 सं. 1 के 1/2 हिस्से तक खारिज किया गया तथा शेष 1/2 हिस्से का अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 30.10.2014 मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने बहस के अन्त कथन किया कि पत्नि को पति के जीवित रहते हुए बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त नही है परन्तु पुत्र अपने पिता के जीवित होते हुए भी अपनी जायदाद का बंटवारा हेतु वाद ला सकता है। इसलिए अपीलांटा अपने पति के जीवनकाल मे पति के नाम दर्ज भूमि मे भी कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे RRD 1992 P 597 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांटा खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा व खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज है तथा पैतृक भूमि है, के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.2014 को जारी की गई और अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2016 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा को रेस्पो0 सं. 1 के 1/2 हिस्से तक खारिज किया गया और शेष 1/2 हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.2014 को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया गया। अपीलांटा का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मे अपीलांटा का भी अपने पति के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत यदि पिता पुत्र अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर विभाजन

करवाते है तो उसके पत्नि का बहिस्सा बराबर का हक बनता है। जिसके संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि मे रेस्पो0 सं. 1/अप्रार्थी सं. 1 व रेस्पो0 सं. 2/प्रार्थी का 1/2–1/2 हिस्सा मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा के जवाब प्रार्थना पत्र एवं कथनो के संबंध मे कोई विवेचन नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हको का निर्धारण मूल वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर किया जाना है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के हितो को सुरक्षित रखते हुए इनके हितो की हद तक स्थगन आदेश दिया जाकर रेस्पो0 को पाबंद किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किये जाने के पर्याप्त आधार होने के कारण अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2016 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेंटस के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रेस्पोडेंट सं. 1 चक 6 एसटीजी खाता सं. 184/156, इसी चक के खाता सं. 176/97 एवं चक 4 एसटीजी खाता सं. 60/51 मे रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि मे से अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के हितो की सीमा तक रहन, बैय तथा अन्तरित नही करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़